न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, रामपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–552/2026

CNR No.UPRP010037712026

(पंजीयन सं०–937/2026)

नदीम जमाल खां उर्फ सोनी पुत्र हसीन अहमद खाँ, निवासी 131 जेल रोड मोहल्ला ठोठर चोबुक सावारन थाना गंज, जिला रामपुर।

बनाम

1– उत्तर प्रदेश राज्य।

2– थाना प्रभारी, थाना सिविल लाइन्स, जिला रामपुर।

धारा–452, 382, 506 IPC
थाना–सिविल लाईन्स, रामपुर
अ०सं० 231/2024

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त नदीम जमाल खां उर्फ सोनी की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–438 के प्रावधान के अन्तर्गत उपरिसन्दर्भित प्रकरण में उसे अग्रिम जमानत प्रदत्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक वादी मुकदमा शुभम अग्रवाल की ओर से दिनांक 01–05–2024 को इस आशय से पंजीकृत करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट से प्रारम्भ हुआ है कि वादी मुकदमा पी–1, आवास विकास कालौनी गंगापुर थाना सिविल लाईन्स का स्थाई निवासी है। वादी मुकदमा एक व्यापारिक व्यक्ति है। दिनांक 01–05–2024 को लगभग शाम 5.30 बजे फईम (9149015025) पुत्र नामालूम निवासी केयर आफ मैसर्स बिस्बा विनीयर ग्राम बगी तहसील सदर जिला रामपुर वादी मुकदमा के घर के अन्दर घुस आया और आते ही जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि उसे नदीम जमाल खाँ उर्फ सोनी खाँ पुत्र हसीन अहमद खाँ निवासी जेल रोड़, मौहल्ला ठोठर चाबुक साबारान रामपुर ने भेजा है और उसे रू. 5,00,000/– दे दो अगर नही दोगे, तो अंजाम अच्छा नही होगा। वादी मुकदमा को डराया धमकाया। वादी मुकदमा ने अपने आप को असुरक्षित महसूस होने पर अपने ही घर में शोर मचाया, तो परम पुत्र लल्लन सिंह निवासी ग्राम पनवड़िया तहसील सदर जिला रामपुर व विनोद पुत्र कुन्दन लाल निवासी ग्राम कमोरा तहसील मिलक जिला रामपुर ने बचाया, तो उक्त फईम आईन्दा देख लेने की धमकी देते हुये चला गया। वादी मुकदमा और उसके परिवार के साथ उक्त फईम और नदीम जमाल खाँ उर्फ सोनी खाँ कोई अप्रिय घटना कारित कर सकते है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वह निर्दोष है। उसे रंजिशन झूठा फंसाया है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठे और फर्जी आरोप पर दर्ज की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व लगाए गए आरोपों से कोई मामला नहीं बनता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले की है और उस समय मौजूद नहीं थी, बल्कि यह बाद में बनी है और ऐसी मनगढ़ंत और बाद में सोची गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। कथित घटना की तारीख से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में लगभग 07 घंटे से ज़्यादा की बहुत ज़्यादा देरी हुई है और देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। कथित घटना का कोई साक्षी नहीं है, जो साक्षी है, जो प्लांटेड है और उनके साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी एक बिज़नेसमैन है। न्यायालय द्वारा सह–आरोपी मो०फहीम को दिनांक 29–05–2024 को जमानत दी गई है। न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 18–10–2023 द्वारा आरोप पत्र दाखिल होने तक अग्रिम जमानत दी गई थी। प्रार्थी/अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में गिरफ्तारी की आशंका है। प्रार्थी/अभियुक्त पहले से दोषी नहीं है और समाज में उसके हित जुड़े हुए हैं और उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। अतः प्रार्थी को अग्रिम ज़मानत प्रदान की जाए।

विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने उपरोक्त तर्को का विरोध किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व मामले में उपरान्त विवेचना आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्व प्रेषित आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के उपरान्त समन जारी किये गये है। इसलिए प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की कोई आंशका नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान न की जाये।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी, आरोपपत्र, आदेश पत्रक व थाना से प्राप्त आख्या का परिशीलन कर लिया है। मामले में उपरान्त विवेचना आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। मजिस्ट्रेट न्यायालय की ओर से प्रार्थी/ अभियुक्त के विरूद्व प्रेषित आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के उपरान्त समन जारी किया जाना अभिलेख दर्शित है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत तर्क एवं अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह तथ्य प्रकट नहीं किया गया है कि मामले में न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किये जाने के उपरान्त भी उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की आंशका किस प्रकार शेष रह गई है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं सुरक्षित विचारण को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदत्त किए जाने का कोई पर्याप्त व न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है।

तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

अभियुक्त/प्रार्थी का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 02–07–2026

(अजय कुमार दीक्षित)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
रामपुर।
J.O.Code–UP6153